न्यायालय जिला न्यायाधीश, भरतपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री बलजीत सिंह, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
मूल दीवानी वाद संख्या : 72/2021 (सी.आई.एस. संख्या 78/2021)
(CNR No. RJBH010019722021)

1. देवेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र कृष्ण कुमार, आयु 43 साल, निवासी सालिगराम मंदिर, नई मण्डी स्टेशन रोड, भरतपुर
2. प्रशान्त तिवारी पुत्र श्री कृष्ण कुमार, आयु 40 साल, निवासी सालिगराम मंदिर, नई मण्डी स्टेशन रोड, भरतपुर
3. रविन्द्र तिवारी पुत्र श्री हेमचन्द तिवारी, आयु 65 साल, निवासी सालिगराम मंदिर, नई मण्डी स्टेशन रोड, भरतपुर **(मृतक, आदेश दिनांक 07.03.2024 द्वारा वाद उपशमित)**

---- वादीगण

बनाम

जयकुमार पुत्र श्री श्रीनारायण, आयु 75 साल, निवासी सालिगराम मंदिर के पास, स्टेशन रोड, नई मण्डी, भरतपुर

---- प्रतिवादी

वादपत्र बाबत इस्तकरार हक (घोषणा) एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :-
1. श्री रघुनन्दनलाल शर्मा एवं श्री राजेश पचौरी, विद्वान् अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री राकेश कुमार शर्मा, विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादी।

<u>नि र्ण य</u> **दिनांक : 20.08.2026**

1. यह वादपत्र वादीगण देवेन्द्र कुमार तिवारी, प्रशान्त तिवारी एवं रविन्द्र तिवारी की ओर से प्रतिवादी जयकुमार के विरुद्ध घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत दिनांक 13.07.2021 को इस न्यायालय में पेश किया गया, जिसके नोटिस प्रतिवादी को प्रेषित किए गए, जिस पर प्रतिवादी की ओर से उपस्थिति दी गई।

2. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत यह वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित सीमाओं का वादीगण एवं प्रतिवादी के स्वामित्व व आधिपत्य का हनुमान जी मंदिर, जो बाबा सालिगराम जी के नाम से जाना जाता है, नई मण्डी, स्टेशन रोड, भरतपुर पर स्थित है, जिस मंदिर बाबत वादी संख्या 1 व 2 के बाबा श्री श्रीनारायण द्वारा धारा 23 जागीर रिज्यूलेशन एक्ट के तहत निजी संपत्ति तस्दीक कराने के लिए एक प्रार्थनापत्र पेश करने पर

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)

असिस्टेंट कलक्टर जागीर, भरतपुर द्वारा मिसल नम्बर 10 दिनांक 02.07.1963 दर्ज कर दिनांक 02.01.1964 को आदेश पारित किया गया एवं मद संख्या 2 वादपत्र में वर्णित दो कुआं, पक्की प्याऊ, 41 पेड़, खसरा नम्बर 342, रकबा 16 बिस्वा, कच्चा कुण्डा, पुख्ता कुण्डा, बुर्ज, मंदिर श्री बाबा सालिगराम जी छतरी व बगीचा मंदिर बाबा सालिगराम की निजी संपत्ति व कब्जा होना करार दिया गया। वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित संपत्ति उनके बाबा श्री श्रीनारायण की संपत्ति थी, जिसमें उनके तमाम वारिसान का हित निहित था। श्रीनारायण के 3 पुत्र थे, जिनमें वादीगण के पिता व बाबा हेमचन्द व गोविन्द प्रसाद लावल्द बिला औरत फौत (बिना पत्नी और बच्चों के मृत्यु होना) हुए व प्रतिवादी हैं।

वादपत्र में अभिकथित किया गया कि उक्त जायदाद वादीगण के पूर्वजों की होने से प्रतिवादी के साथ-साथ उसमें वादीगण का हित निहित था, किन्तु श्रीनारायण ने वसीयत दिनांक 15.09.1963 के जरिये मद संख्या 2 में वर्णित जायदाद का स्वामित्व प्रतिवादी को देना बताने पर, प्रतिवादी ने जायदाद का एक ट्रस्ट बनाकर स्वयं को उसका एकमात्र ट्रस्टी व उसके बाद उसके पुत्र को वंशानुगत ट्रस्टी बनाकर रजिस्टर्ड करा लिया, जिस कारण वादीगण को पैतृक् संपत्ति होने से वाद दायर करने का हक प्राप्त हुआ। उन द्वारा कथित किया गया कि प्रतिवादी ने जिस वसीयत के आधार पर संपत्ति को निजी बताते हुए ट्रस्ट बनाया है, उक्त वसीयत दिनांक 15.09.1963 की बताई गई है, जबकि संपत्ति दिनांक 02.01.1964 को निजी घोषित की गई है, जिससे साबित है कि दिनांक 15.09.1963 को व उसके बाद वह श्रीनारायण की निजी संपत्ति नहीं थी, जिस कारण उन्हें वर्ष 1963 में वसीयत करने का अधिकार नहीं था और बिना सोचे-समझे फर्जी तौर पर उक्त वसीयत तैयार की गई है जो वादीगण के विरुद्ध प्रभावहीन होने से इस बाबत वे घोषणा कराने के अधिकारी हैं। वसीयत दिनांक 15.09.1963 से प्रतिवादी को कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलते हैं एवं न ही वादीगण को मंदिर सालिगराम की सेवा-पूजा व उसकी तमाम संपत्ति वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र के उपयोग-उपभोग में बाधा डालने का प्रतिवादी को कोई अधिकार है। प्रतिवादी ने उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर मंदिर सालिगराम जी का वादीगण की जानकारी के बिना ट्रस्ट कायम करा लिया है, जबकि उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर प्रतिवादी को एकल न्यासी के रूप में ट्रस्ट पंजीयन कराने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। विवादित जायदाद वर्णित मद संख्या 2 वादीगण की पैतृक् संपत्ति है, जिस पर वसीयत दिनांक 15.09.1963 से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। मंदिर सालिगराम जी में वादीगण का भी निस्फ हित निहित है व वादीगण आज दिन तक मंदिर की सेवा-पूजा व तमाम कार्यवाही करते चले आ रहे हैं, किन्तु दिनांक 20.06.2021 को ज्येष्ठ दशहरा का त्यौहार होने से जब वादीगण मंदिर की सेवा-पूजा व भोग राग आदि कर रहे थे, तो प्रतिवादी ने वादगण की सेवा-पूजा में व्यवधान डाला व अपने आपको मंदिर का एकमात्र ट्रस्टी बताया व मंदिर से वादीगण को चले जाने व सेवा-पूजा न करने को कहा। वादीगण को उक्त

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)

तमाम जानकारी देवस्थान विभाग से हुई है। मंदिर श्री हनुमान जी, जो सालिगराम के नाम से जाना जाता है, का प्रतिवादी एकमात्र मालिक व ट्रस्टी नहीं है, बल्कि वादीगण भी उसके साथ बराबर हिस्से के हितधारक हैं। अन्त में वाद हेतुक, न्यायालय शुल्क का उल्लेख करते हुए वादपत्र में वर्णित अनुसार अनुतोष प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा में प्रारम्भिक आपत्ति उठाते हुए अभिकथित किया गया कि विवादित मंदिर सालिगराम की चल-अचल संपत्ति एवं प्रबंध व एकल ट्रस्टी व हितकारी के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तक निर्णय व डिक्री प्रतिवादी जयकुमार के पक्ष में वादपत्र जयकुमार बनाम नैमीचन्द, हेमचन्द वगैरह में अन्तिम रूप से निर्णीत हो चुके हैं, जिस कारण धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वर्तमान वादपत्र व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं होने से वाद निरस्त किए जाने योग्य है। विवादित मंदिर श्री सालिगराम, राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत देवस्थान विभाग से प्रतिवादी जयकुमार के एकल ट्रस्ट में सार्वजनिक प्रन्यास के रूप में पंजीकृत है एवं वादीगण के पिता, बाबा व अन्य बुजुर्गों की आपत्तियां निरस्त हो चुकी हैं तथा वाद नैमीचन्द वगैरह बनाम जयकुमार में निरस्त हो चुकी हैं जो अन्तिम निर्णय है तथा वादीगण को वर्तमान वाद पेश करने का कोई अधिकार नहीं है और प्रकरण में विबंधन का सिद्धान्त (principal of Estoppel) लागू होने से वाद निरस्तनीय है। न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अनुसार इजराय में सन् 2013 में प्रतिवादी जयकुमार को वादीगण के बुजुर्गों का नाजायज कब्जा पुलिस बल द्वारा हटाकर कब्जा मय समस्त हित प्रदान कर डिक्री की पूर्ण संतुष्टि कराई गई। प्रतिवादी अथवा उनके बुजुर्गों का संपत्ति व उसके प्रबंध में कोई भी अधिकार शेष नहीं रहे हैं तथा दावा दायरी के वक्त वादीगण का संपत्ति के स्वामित्व व प्रबंधन में कोई हित नहीं रहा है। विवादित संपत्ति की बाजार कीमत 50 लाख रुपये से अधिक होने से बिना मूल्यांकन एवं न्यायशुल्क अदा किए वाद पोषणीय नहीं है।

वादपत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में प्रतिवादी द्वारा जवाब में अभिकथन किया गया कि मद संख्या 1 में वर्णित संपत्ति वादी व प्रतिवादी के स्वामित्व व आधिपत्य का होना स्वीकार नहीं है तथा मंदिर श्री सालिगराम व हनुमान जी महाराज, शिवालय, कुण्डा एवं उससे लगी हुई सभी संपत्ति सार्वजनिक व धार्मिक प्रयोजनार्थ बुजुर्गों के समय से ही समर्पित की हुई है, जिसका राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत सार्वजनिक ट्रस्ट पंजीकृत है, जिसका प्रबंधक एवं एकल ट्रस्टी प्रतिवादी जयकुमार रहा है। विवादित मंदिर व संपत्ति पर प्रतिवादी जयकुमार के एकल आधिपत्य के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तक निर्णय हो चुके हैं, जिनसे वादीगण बाधित हैं एवं वादीगण दावा पेश करने का कोई locus standi नहीं रखते हैं। वादीगण को वसीयत को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सभी विवाद पूर्व में ही प्रतिवादी जयकुमार के पक्ष में निर्णीत हो चुके हैं। वादीगण को पूजा करने व दर्शन करने से कभी नहीं रोका तथा वसीयत के विवाद को पुनः उठाने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं है

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)

जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय की सरेआम अवमानना है। राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत वादीगण के पिता, बाबा व बुजुर्गों की आपत्तियां पूर्व में निरस्त हो चुकी हैं एवं एक ही झूठ को बार-बार दोहराने मात्र से सच नहीं बनाया जा सकता है। उन द्वारा वादीगण को दिनांक 20.06.2021 को कोई धमकी नहीं दी गई। राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत मंदिर को धार्मिक पूजा स्थल के रूप में पंजीकृत किया हुआ है तथा समस्त जाति व धर्म के व्यक्तियों को मंदिर दर्शनार्थ उपलब्ध किया हुआ है। मंदिर की जायदाद को किसी भी बुजुर्ग, परिवारीजन अथवा वारिसान द्वारा रहन, वय, मुंतकिल नहीं किया जा सकता है, मात्र मंदिर की सेवा-पूजा, आरती व दर्शनों की व्यवस्था किए जाने हेतु वंश परम्परा से ट्रस्टी नियुक्त किया जाता है और तद्नुसार मंदिर की संपत्ति पर मूर्ति मंदिर के अलावा किसी व्यक्ति विशेष को मिलकीयती अधिकार प्राप्त नहीं होगा। वादीगण को दिनांक 20.04.2021 को कोई वादकारण प्राप्त नहीं हुआ है, न ही वसीयत दिनांक 15.09.1963 को निरस्त कराने का अधिकार है, क्योंकि उससे पूर्व ही वसीयत में किसी अचल संपत्ति को हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है।

जवाब में यह भी वर्णित किया गया कि वादीगण ने असत्य, आधारहीन तथ्यों के आधार पर वस्तुस्थिति को छिपाते हुए वादपत्र पेश किया है एवं वे स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आए हैं, जिस कारण वे स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। मंदिर श्री हनुमान जी, सालिगराम जी, राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक प्रन्यास है, जो दिनांक 15.10.1986 से पंजीकृत है और जयकुमार एकल ट्रस्टी व आधिपत्यधारी है, वादीगण अथवा उनके पिता व बाबा हेमचन्द अथवा अन्य बुजुर्गों का प्रबंधन, संचालन व व्यवस्था में अधिकार निहित नहीं है। मंदिर की समस्त सेवा-पूजा, प्रबंध व दायित्व प्रतिवादी जयकुमार में निहित हैं। जवाब में कथित किया गया कि वादीगण के पिता, बाबा व उनके भाई गोविन्द चन्द और अन्य परिवारजनों ने मंदिर श्री सालिगराम को प्रतिवादी जयकुमार की पूजा में हस्तक्षेप कर नाजायज पुजारी बैठा दिया एवं उसके प्रबंध में हस्तक्षेप करने की धमकी दी, जिस पर प्रतिवादी जयकुमार द्वारा वादपत्र संख्या 85/1982 नया नम्बर 29/1987 जयकुमार बनाम नैमीचन्द, हेमचन्द, गोविन्द वगैरह पेश करने पर न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 1, भरतपुर के निर्णय दिनांक 23.05.2007 द्वारा डिक्री किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध नैमीचन्द वगैरह द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, भरतपुर द्वारा दिनांक 29.09.2007 को निरस्त की गई तथा द्वितीय अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 07.01.2009 द्वारा निरस्त की गई। उक्त निर्णय व डिक्री की जयकुमार की इजराय में मदयूनान नैमीचन्द वगैरह द्वारा समान तथ्यों पर उज्रदारी प्रार्थनापत्र पेश करने पर इजराय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.2009 को खारिज किया गया, जिसकी नैमीचन्द वगैरह द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एस.बी. सिविल रिट

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)

पिटीशन नम्बर 10987/2009, नैमीचन्द वगैरह बनाम जयकुमार वगैरह दिनांक 14.09.2012 को निरस्त कर दी गई तथा इजराय में नैमीचन्द, हेमचन्द, गोविन्द चन्द इत्यादि सभी का कब्जा हटाकर दिनांक 05.08.2013 को मौके पर जयकुमार को कब्जा दिलाया गया, तब से विवादित मंदिर व उसकी संपत्ति व व्यवस्था का पूर्ण प्रबंधक, हितकारी व एकल ट्रस्टी जयकुमार है। वादीगण ने उक्त तथ्यों को छिपाते हुए वादपत्र पेश किया गया है। वादीगण के बुजुर्ग नैमीचन्द वगैरह ने राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत एकल ट्रस्ट के पंजीयन के विरुद्ध उज्रदारी पेश करने पर आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर तक निरस्त की गई तथा भिन्न-भिन्न न्यायालयों में पिटीशन व दीवानी दावे भी निरस्त किए जा चुके हैं। उन द्वारा वाद वादीगण मय हर्जा-खर्चा निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

4. वाद के विचारण के दौरान दिनांक 05.06.2023 को प्रतिवादी संख्या 3 रविन्द्र कुमार तिवारी की मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक प्रतिनिधिगण को रिकॉर्ड पर लिए जाने हेतु दिनांक 21.11.2023 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु उक्त प्रार्थनापत्र परिसीमा अवधि के पश्चात् काफी विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण, न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.03.2024 द्वारा वादी संख्या 3 रविन्द्र कुमार तिवारी की हद तक वाद उपशमित किया गया।

5. उभय पक्षकारान के उक्त अभिवचनों के आधार पर दिनांक 21.09.2022 को न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किए गए :-

1. आया वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित संपत्ति वादीगण के पूर्वजों की जायदाद होने से प्रतिवादी के साथ-साथ वादीगण का भी उक्त संपत्ति में हित निहित है ?

----- वादीगण

2. आया प्रतिवादी द्वारा फर्जी तौर पर तैयार की गई वसीयत दिनांक 15.09.1963 के आधार पर पैतृक् संपत्ति को निजी बताते हुए ट्रस्ट बनाया गया है ?

----- वादीगण

3. आया वादी यह घोषणा कराने का अधिकारी है कि वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित जायदाद वादीगण की पैतृक् संपत्ति है, जिस पर प्रतिवादी का कोई एकल स्वामित्व व अधिकार नहीं है तथा प्रतिवादी को वादीगण की सेवा-पूजा व उक्त जायदाद के उपयोग-उपभोग में बाधा करने का अधिकार नहीं है तथा वसीयत दिनांक 15.09;1963 वादीगण के विरुद्ध बातिल, बेअसर व प्रभावहीन है ?

----- वादीगण

4. आया वादी, प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है कि वह वादीगण को उनके निष्फ हिस्से के अनुसार पूजा-पाठ व सेवा के अधिकार से वंचित नहीं करे व नियमित रूप से पूजा-अर्चना करने में कोई व्यवधान पैदा न करें ?

----- वादीगण

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)

5. आया वादपत्र धारा 11 सी.पी.सी. के तहत पोषणीय नहीं है ?

----- प्रतिवादी

6. आया वादपत्र का सही मूल्यांकन व पर्याप्त कोर्ट फीस अदा नहीं होने से वादपत्र खारिज किए जाने योग्य है ?

----- प्रतिवादी

7. आया वादपत्र मियाद बाहर होने से खारिज किए जाने योग्य है ?

----- प्रतिवादी

8. आया माननीय उच्च न्यायालय तक विवादित मंदिर व जायदाद का एकल ट्रस्टी प्रतिवादी जयकुमार को घोषित किया जा चुका है तथा राज. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत सार्वजनिक प्रन्यास के रूप में ट्रस्ट पंजीकृत हो चुका है तथा वादीगण व उनके पूर्वजों के सभी कानूनी प्रतिवेदन, अपील, रिवीजन, रिट निरस्त हो चुके हैं, इस कारण वादीगण कोई दादरसी प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं ?

----- प्रतिवादी

9. अनुतोष ?

6. उपरोक्त विवाद्यकों को साबित करने के लिए वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू.1 देवेन्द्र कुमार तिवारी, पी.डब्ल्यू.2 सुधीर कुमार शर्मा, पी.डब्ल्यू.3 महावीर प्रसाद लवानिया, पी.डब्ल्यू.4 दाऊदयाल शर्मा एवं पी.डब्ल्यू.5 गिरधारी को परीक्षित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श 1 वसीयत दिनांक 15.09.1963 को प्रदर्शित कराया गया।

प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी.डब्ल्यू.1 जयकुमार शर्मा एवं डी.डब्ल्यू.2 अरूण कुमार शर्मा को परीक्षित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श डी.1 एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 10987/2009, नैमीचन्द वगैरह बनाम जयकुमार में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2012, प्रदर्श डी.2 मूल दीवानी वाद संख्या 29/1987 (85/2002), जयकुमार बनाम नैमीचन्द वगैरह में न्यायालय अतिरिक्त सिविल जज (वरिष्ठ खण्ड) संख्या 1, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2007, प्रदर्श डी.3 नियमित दीवानी अपील संख्या 09/2007, नेमीचन्द वगैरह बनाम जयकुमार वगैरह में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2007, प्रदर्श डी.4 इजराय संख्या 02/2009, जयकुमार द्वारा नैमीचन्द वगैरह, प्रदर्श डी.5 विविध दीवानी नम्बर 05/2009, नेमीचन्द बनाम जयकुमार में पारित डिक्री दिनांक 11.10.2013, प्रदर्श डी.6 विविध दीवानी नम्बर 05/2009, नेमीचन्द व अन्य बनाम जयकुमार में आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2013, प्रदर्श डी.7 सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, भरतपुर, खण्ड भरतपुर द्वारा धारा 24 आर.पी.टी. एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 09.04.2008, प्रदर्श डी.8 न्यायालय जिला न्यायाधीश, भरतपुर द्वारा विविध दीवानी प्रकरण संख्या 247/2011, नेमीचन्द शर्मा बनाम सहायक आयुक्त वगैरह में

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)

पारित आदेश दिनांक 01.06.2019, प्रदर्श डी.9 इजराय संख्या 02/2009 में धारा 47 व 151 सि.प्र.सं. के तहत देवेन्द्र तिवारी द्वारा जयकुमार के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थनापत्र, प्रदर्श डी.10 न्यायालय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) संख्या 1, भरतपुर में इजराय संख्या 02/2009, जयकुमार बनाम नेमीचन्द में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 12.05.2009 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 17.08.2009, प्रदर्श डी.11 न्यायालय आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 15/1987 में पारित आदेश दिनांक 10.07.1991 तथा प्रदर्श डी.12 विविध दीवानी प्रकरण संख्या 05/2009, नैमीचन्द वगैरह बनाम जयकुमार में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सि.प्र.सं. प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराए गए।

''बहस''

7. विद्वान् अधिवक्ता वादीगण की ओर से वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया गया कि उनके बाबा श्री श्रीनारायण की वसीयत दिनांक 15.09.1963 के आधार पर मंदिर श्री सालिगराम जी एवं उसकी संपत्ति कुआं, प्याऊ, आराजी भूमि आदि प्रतिवादी को देना बताते हुए प्रतिवादी ने ट्रस्ट बना लिया और उसमें स्वयं को एकमात्र ट्रस्टी एवं उसके बाद अपने पुत्र को वंशानुगत ट्रस्टी रजिस्टर्ड करा लिया, जबकि उक्त मंदिर व उसकी संपत्ति के संबंध में दिनांक 02.01.1964 को उनके बाबा श्री श्रीनारायण को निजी संपत्ति व कब्जा असिस्टेंट कलक्टर जागीर, भरतपुर द्वारा दिया गया था। उन द्वारा तर्क दिया गया कि दिनांक 02.01.1964 से पूर्व श्री श्रीनारायण को उक्त मंदिर और उसकी संपत्ति के संबंध में वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था और न ही उक्त वसीयत से प्रतिवादी का कोई हक सृजित होता है, बल्कि उक्त संपत्ति में प्रतिवादी के साथ-साथ वादीगण के हित भी निहित हैं। उन द्वारा तर्क दिया गया कि आदेश दिनांक 02.01.1964 के संबंध में तथ्य बाद में जानकारी में आया है, इसलिए उसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है, न ही उक्त आदेश न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेशों से प्रभावहीन हो जाता है। उन द्वारा तर्क दिया गया कि जब श्री श्रीनारायण को पैतृक् संपत्ति की दिनांक 15.09.1963 को वसीयत करने का अधिकार ही नहीं था, तब न्यायालयों द्वारा पारित सभी आदेश उन पर लागू नहीं होते हैं। उन द्वारा तर्क दिया गया कि विवादित मंदिर एवं उसकी संपत्ति वादीगण की पैतृक् संपत्ति है। सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2007 में वसीयत दिनांक 15.09.1963 पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है। उन द्वारा उक्त जायदाद को पैतृक् संपत्ति घोषित कर वसीयत दिनांक 15.09.1963 को उनके विरुद्ध शून्य, बेअसर एवं प्रभावहीन घोषित कर प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निवेदन किया गया।

8. प्रतिवादी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया गया कि विवादित जायदाद के संबंध में पूर्व में वाद प्रस्तुत किया गया, जिसके

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)

विरुद्ध हस्तगत प्रकरण के वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम एवं द्वितीय अपील खारिज हो चुकी है तथा इजराय की पालना में संपत्ति का कब्जा पूर्ण संतुष्टि में उसे प्राप्त हो चुका है। विवादित जायदाद के संबंध में सभी विवादों के निपटारे के बाद प्रतिवादी बतौर ट्रस्टी मंदिर व उसकी जायदाद की सेवा-पूजा, देखभाल व प्रबंधन काकार्य कर रहा है। इसलिए वादीगण उन्हीं तथ्यों के आधार पर पुन: सिविल वाद प्रस्तुत करने से विबंधित हैं तथा वाद वादीगण खारिज किए जाने योग्य है। उन द्वारा तर्क दिया गया कि जिस दस्तावेज के आधार पर वादीगण हस्तगत वाद लेकर आए हैं, उसे पूर्व में प्रस्तुत किए गए सिविल विवादों के दौरान प्रस्तुत कर सकते थे, किन्तु उन द्वारा ऐसा नहीं किया गया। जब एक बार स्वामित्व का प्रश्न निर्णीत हो चुका है, तब किसी नवीन दस्तावेज के अभाव में, अन्य दस्तावेज के आधार पर पुन: विवादित संपत्ति के स्वामित्व के प्रश्न को न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता है, न ही ऐसा वाद न्यायालय में सुनवाई योग्य है। उन द्वारा तर्क दिया गया कि विवादित संपत्ति का प्रतिवादी को एकल ट्रस्टी घोषित किया जा चुका है तथा उक्त ट्रस्ट सार्वजनिक प्रन्यास के रूप में पंजीकृत हो चुका है। वादीगण प्रदर्श डी.1 में पक्षकार थे। वादीगण को कोई वाद हेतुक भी प्राप्त नहीं हुआ है तथा झूठे व मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर, वादपत्र पेश किया गया है तथा उन द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों के तथ्य को छिपाया गया है। लिहाजा, वाद वादी खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

9. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। साथ ही, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

10. इस वादपत्र में उभयपक्ष के अभिवचन प्राप्त होने के पश्चात् अनुतोष सहित कुल 9 विवाद्यक विरचित किए गए हैं, जिन्हें मेरे द्वारा निम्नप्रकार विवेचित किया जा रहा है :-

''<u>विवेचना, निष्कर्ष व उसके आधार</u>''

<u>विवाद्यक संख्या एक, दो, तीन, चार, आठ</u>

1. आया वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित संपत्ति वादीगण के पूर्वजों की जायदाद होने से प्रतिवादी के साथ-साथ वादीगण का भी उक्त संपत्ति में हित निहित है ?

2. आया प्रतिवादी द्वारा फर्जी तौर पर तैयार की गई वसीयत दिनांक 15.09.1963 के आधार पर पैतृक् संपत्ति को निजी बताते हुए ट्रस्ट बनाया गया है ?

3. आया वादी यह घोषणा कराने का अधिकारी है कि वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित जायदाद वादीगण की पैतृक् संपत्ति है, जिस पर प्रतिवादी का कोई एकल स्वामित्व व अधिकार नहीं है तथा प्रतिवादी को वादीगण की सेवा-पूजा व उक्त जायदाद के उपयोग-उपभोग में बाधा करने का अधिकार नहीं है तथा वसीयत दिनांक 15.09;1963 वादीगण के विरुद्ध बातिल, बेअसर व प्रभावहीन है ?

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)

4. आया वादी, प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है कि वह वादीगण को उनके निष्फ हिस्से के अनुसार पूजा-पाठ व सेवा के अधिकार से वंचित नहीं करे व नियमित रूप से पूजा-अर्चना करने में कोई व्यवधान पैदा न करें ?

8. आया माननीय उच्च न्यायालय तक विवादित मंदिर व जायदाद का एकल ट्रस्टी प्रतिवादी जयकुमार को घोषित किया जा चुका है तथा राज. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत सार्वजनिक प्रन्यास के रूप में ट्रस्ट पंजीकृत हो चुका है तथा वादीगण व उनके पूर्वजों के सभी कानूनी प्रतिवेदन, अपील, रिवीजन, रिट निरस्त हो चुके हैं, इस कारण वादीगण कोई दादरसी प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं ?

11. उपरोक्त विवाद्यक संख्या 1 लगायत 4 को साबित करने का भार वादीगण पर रखा गया है तथा विवाद्यक संख्या 8 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर रखा गया है। उक्त सभी विवाद्यक एक ही साक्ष्य से विवेचन योग्य होने से उनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है।

12. वादीगण की ओर से वादपत्र के समर्थन में स्वयं वादी संख्या 1 देवेन्द्र कुमार तिवारी को पी.डब्ल्यू.1 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिस द्वारा साक्ष्य शपथपत्र में वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य बयानों में वसीयतनामा दिनांक 15.09.1963 की प्रमाणित प्रति को प्रदर्शित कराया गया है। उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया है कि रविन्द्र कुमार तिवारी उसके चाचा हैं, जिनका स्वर्गवास हो गया है, किन्तु उस द्वारा स्वीकार किया गया है कि उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है। गवाह ने आगे कथन किया कि मंदिर के पण्डित जयकुमार को न्यायालय द्वारा कब्जा दिलाया गया, तब उज्रदारी पेश की गई हो तो उसे जानकारी नहीं है। हेमचन्द उसके बाबा लगते हैं, जिन द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां दिनांक 17.08.2009 को खारिज कर दी गई हों तो उसकी जानकारी में नहीं है। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि जिस जायदाद का उस द्वारा दावा पेश किया गया है, उसके संबंध में पूर्व में भी उसके व उसके बुजुर्गों के खिलाफ निर्णय हो चुके हों, अजखुद कहा कि उन्हें 2021 में पता चला है। उक्त गवाह को जयकुमार द्वारा ट्रस्ट बनाने तथा उसी द्वारा पूर्ण व्यवस्था करने बाबत प्रश्न करने पर उस द्वारा इस तथ्य को गलत होना बताया। उक्त गवाह से यह भी प्रश्न किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नेमीचन्द, सुशील व हेमचन्द द्वारा प्रस्तुत दावे में वादग्रस्त मंदिर का कब्जा जयकुमार को दिलाए जाने का निर्णय पारित हो चुका था, जिसके संबंध में उस द्वारा दावे के निर्णय में हेमचन्द का नाम नहीं होना बताया। गवाह द्वारा आगे कथन किया गया है कि मंदिर के पक्ष में जयकुमार की जो डिक्री हुई थी, उसकी अपील खारिज हुई हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। जयकुमार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उसने नहीं देखे हैं। गवाह ने स्वीकार किया कि जिस वसीयतनामा की प्रमाणित प्रति पेश की है, उसकी असल नहीं है तथा असल वसीयतनामा उसके सामने नहीं लिखा गया, क्योंकि उस समय उसका जन्म नहीं हुआ था।

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)

उक्त गवाह द्वारा आगे कथन किया गया है कि वसीयतनामा की फोटोप्रति परिवार के सदस्य से प्राप्त हुई थी, जिन्होंने जमीन बेची तो वसीयतनामा की फोटोप्रति लगाई थी। उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि उनका मंदिर से कोई संबंध नहीं रहा हो और न ही उनका आधिपत्य रहा हो।

13. पी.डब्ल्यू.2 सुधीर कुमार शर्मा द्वारा मुख्य रूप से वादपत्र के तथ्यों को ही साक्ष्य शपथपत्र में दोहराते हुए प्रतिवादी की ओर से की गई जिरह में कथन किया कि उसने विवादित संपत्ति के संबंध में वादीगण के स्वामित्व का कोई दस्तावेज नहीं देखा, न ही उसने कभी जागीर रिज्यूलेशन एक्ट पढ़ा। उसने एक्ट के संबंध में आदेश दिनांक 02.01.1963 एवं 02.01.1964 की कोई सत्यप्रति नहीं ली, न ही उसे कभी पढ़ा। गवाह ने स्वीकार किया कि देवेन्द्र कुमार, रविकुमार तथा प्रतिवादी जयकुमार के मध्य काफी दिनों से मुकदमेबाजी चल रही है, उसमें कभी कोई गवाही नहीं दी। गवाह ने आगे कथन किया कि उन मुकदमों में जयकुमार जीत गए हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर से रविकुमार व उसके परिवारीजन मुकदमे को हार चुके हैं, अजखुद कहा कि अपील चल रही है, किन्तु साथ ही यह भी स्वीकार किया कि अपील में वह पक्षकार नहीं है तथा अपील किस-किसने की और किस-किसके विरुद्ध की, यह उसकी जानकारी में नहीं है। गवाह ने आगे इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की कि न्यायालय के आदेश से ही जयकुमार को कब्जा मिला है; प्रतिवादी ने जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाया है, वह कहां से करवाया है, बल्कि ट्रस्ट की उसे कोई जानकारी नहीं है। गवाह ने कथन किया है कि वसीयत की तारीख की जानकारी नहीं है, लेकिन सन् 1963 में वसीयत हुई थी, उसने वसीयत नहीं देखी, लेकिन माँ ललिता देवी वसीयत के बारे में बताती थी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि वसीयत को किसी भी कोर्ट ने निरस्त नहीं किया है।

14. पी.डब्ल्यू.3 महावीर प्रसाद लवानियां, पी.डब्ल्यू.4 दाऊदयाल तथा पी.डब्ल्यू.5 गिरधारीलाल द्वारा भी पी.डब्ल्यू.2 सुधीर कुमार शर्मा के अनुसार साक्ष्य शपथपत्र में तथ्य अंकित करते हुए कथन किया कि प्रतिवादी ने फर्जी वसीयत के आधार पर वादीगण की जानकारी में लाए बिना फर्जी ट्रस्ट बना लिया है। मंदिर सालिगराम में वादीगण का हक निहित है तथा वादीगण आज भी सालिगराम मंदिर में सेवा-पूजा करते चले आ रहे हैं एवं प्रतिवादी का कोई एकल स्वामित्व का मंदिर नहीं है, बल्कि वादीगण व प्रतिवादी के स्वामित्व की जायदाद है। पी.डब्ल्यू.3 महावीर प्रसाद द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि उसने विवादित मंदिर में सन् 2008 से अगस्त, 2012 तक सेवा-पूजा का कार्य किया है। सन् 2012 के बाद में मंदिर पर दोबारा दर्शन करने जाता है। गवाह ने स्वीकार किया कि रवि और देवेन्द्र उसके पारिवारिक सदस्य नहीं हैं। जिस समय वह विवादित मंदिर पर पूजा करता था, उस समय वादी व प्रतिवादी के मध्य कोई मुकदमेबाजी चल रही हो, तो उसकी जानकारी में नहीं है। मंदिर उसने पूरा देखा है, जो कितना लम्बा-चौड़ा है, वह अंदाजे से नहीं बता सकता है। असिस्टेंट कलक्टर का आदेश

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)

उसने कभी नहीं पढ़ा तथा उसमें कौन-कौनसी संपत्ति लिखी हैं, इसकी उसे जानकारी नहीं है। श्रीनारायण, खेमचन्द के बाबा थे, जिनके कितनी संतान हैं, उनके क्या–क्या नाम हैं, वह नहीं जानता है। वादी व प्रतिवादी के मध्य चला विवाद माननीय उच्च न्यायालय से निर्णीत हो चुका हो तो उसकी जानकारी में नहीं है तथा यह भी उसकी जानकारी में नहीं है कि जिस समय वह मंदिर पर पूजा करता था, उस समय पुलिस ने जयकुमार को मंदिर पर बैठाया हो और कब्जा दिलाया हो। गवाह ने आगे कथन किया कि उसने मंदिर के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं देखे। गवाह द्वारा आगे कथन किया गया कि वादी व प्रतिवादी के परिवार का मंदिर है और उन्होंने ही उसे पूजा के लिए कहा था और उसने मंदिर में पूजा की थी; उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, उनके क्या नाम हैं, उनके पूरे परिवार की उसे जानकारी नहीं है, न ही ऐसा कोई न्यायालय का आदेश जानकारी में है जो वसीयत को फर्जी घोषित करता हो।

15. पी.डब्ल्यू.4 दाऊदयाल द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि यह मुकदमा ट्रस्ट में वादी का नाम जुड़वाने के लिए चल रहा है। गवाह ने स्वीकार किया कि जयकुमार के पक्ष में वसीयत हो चुकी है और ट्रस्ट, देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड है, जिसमें जयकुमार एकल प्रन्यासी है, किन्तु ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन कार्यवाही की उसे कोई जानकारी नहीं है। गवाह ने आगे कथन किया कि ट्रस्ट शायद सन् 1986 में बना है, तारीख की जानकारी नहीं है, उसने ट्रस्ट के खिलाफ कभी कोई आपत्ति पेश नहीं की, क्योंकि उसे जानकारी नहीं थी। उसने ट्रस्ट के खिलाफ देवस्थान विभाग में धारा 38 की कार्यवाही की या नहीं, उसे याद नहीं। प्रतिवादी जयकुमार और उसके वारिसान व उसके मध्य अन्य न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट से संबंधित कोई मुकदमा नहीं है। मंदिर का कब्जा लेने के लिए पेश इजराय में देवेन्द्र तिवारी ने आपत्ति पेश की हो, इसकी उसे जानकारी नहीं है, न ही यह जानकारी है कि ट्रस्ट को किसी कोर्ट ने फर्जी घोषित किया हो। गवाह द्वारा स्वीकार किया गया कि वर्तमान में प्रतिवादी जयकुमार ही मंदिर पर सेवा-पूजा इजराय में न्यायालय द्वारा कब्जा दिलाने के बाद से कर रहा है, पहले वे सभी सेवा कर रहे थे, स्वत: कहा कि अब उन्हें पूजा नहीं करने देते हैं, झगड़ा करते हैं और ताला लगा देते हैं। गवाह द्वारा स्वीकार किया गया कि ट्रस्ट से संबंधित सारे मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय से तय हो चुके हैं, जिनमें रविन्द्र, देवेन्द्र व प्रशान्त पक्षकार नहीं थे, बल्कि वही पक्षकार था।

16. पी.डब्ल्यू.5 गिरधारीलाल द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि उसका गांव भरतपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है एवं वह रिश्तेदारी के हिसाब से कार्यक्रमों में व बीच में आता है। वादी देवेन्द्र व प्रशान्त उसके भांजे हैं। पुलिस द्वारा जयकुमार को जिस दिन मंदिर का कब्जा दिलवाया गया था, उस दिन वह मौजूद नहीं था। असिस्टेंट कलक्टर का आदेश उसने पढ़ा था, किन्तु आदेश में क्या-क्या संपत्ति लिखी थीं, उसे जानकारी नहीं है। गवाह द्वारा स्वीकार किया गया कि मंदिर की सेवा-पूजा प्रतिवादी जयकुमार 4-5 साल से कर रहा है। उसने वसीयत

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)

दिनांक 15.09.1963 कभी नहीं पढ़ी। मंदिर पर एक आदमी का ट्रस्ट बना हुआ है, जिसका नाम जयकुमार है तथा एक अकेले आदमी का ट्रस्ट नहीं होता है, ट्रस्ट में 15-20 आदमी होते हैं, यह उसने कहीं पढ़ा है। उसे नहीं पता कि ट्रस्ट, देवस्थान विभाग से रजिस्टर्ड है या नहीं। जिस ट्रस्ट को वह फर्जी कह रहा है, उसे किसी कोर्ट ने फर्जी घोषित किया हो, इसकी उसे जानकारी नहीं है तथा वसीयत को किसी न्यायालय ने फर्जी घोषित किया गया हो, तो यह उसकी जानकारी में नहीं है। ट्रस्ट के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में मुकदमे चले हों तो उसकी जानकारी में नहीं है। देवेन्द्र व प्रशान्त के बाबा का नाम हेमचन्द तिवारी था और परबाबा का नाम श्रीनारायण था। श्रीनारायण के तीन बेटे थे, जिनके नाम हेमचन्द, गोविन्दचन्द व जयकुमार हैं। उसे जानकारी नहीं है कि देवेन्द्र तिवारी के कोई मुकदमा माननीय हाईकोर्ट से खारिज हुए हों।

17. प्रतिवादी जयकुमार की ओर से स्वयं को डी.डब्ल्यू.1 के तौर पर परीक्षित कराया गया है, जिस द्वारा साक्ष्य शपथपत्र में वादोत्तर के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए गए हैं तथा न्यायालय के समक्ष मुख्य बयानों में निर्णय/आदेशों की प्रतिलिपियों को प्रदर्शित कराया गया है। उस द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि मंदिर बाबा सालिगराम जी ने अपनी प्रोपर्टी से बनवाया था। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि मंदिर महाराजा, भरतपुर द्वारा बनवाया गया हो। उक्त गवाह द्वारा आगे कथन किया गया कि जब मंदिर सालिगराम बनवाया गया था, तब मंदिर की सेवा-पूजा स्वयं बाबा ही करते थे, मंदिर पर कोई पुजारी नहीं था। बाबा की मृत्यु के बाद उनके वारिसों ने मंदिर में सेवा-पूजा की। सालिगराम जी के 2 पुत्र रामगोपाल व कृष्णगोपाल थे। कृष्णगोपाल के कोई संतान नहीं थी, जबकि रामगोपाल के 2 पुत्र हेतकिशन व मंगलराम थे। जुगलकिशोर, मंगलराम जी का दूसरा नाम था। हेतकिशन के 3 पुत्रों में हेमचन्द, गोविन्दचन्द व जयकुमार हैं और गोविन्दचन्द के कोई संतान नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि मंदिर सालिगराम, श्रीनारायण जी की पैतृक् संपत्ति थी, किन्तु इस सुझाव को गलत बताया कि उक्त संपत्ति के हेतकिशन के तीनों पुत्र श्रीनारायण, शंकरलाल व रघुवर दयाल मालिक हों, खुद कहा कि श्रीनारायण पूरी संपत्ति के स्वयं मालिक थे। गवाह द्वारा इस सुझाव को गलत होना बताया गया कि श्रीनारायण जी को वसीयत करने का कोई अधिकार न हो, किन्तु इस सुझाव को सही होना बताया कि विवादित संपत्ति भरतपुर स्टेट के होम डिपार्टमेंट ने अपने अधिकार में ले ली थी तथा होम डिपार्टमेंट से विवादित संपत्ति के वर्ष 1975 में रिलीज होने बाबत आदेश दिनांक 8873-75 दिनांक 23.03 हुआ हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। मंदिर पहले से ही श्रीनारायण के नाम था तथा मद संख्या 2 वादपत्र में वर्णित मंदिर के आसपास लगी हुई संपत्ति को श्रीनारायण की प्राइवेट प्रोपर्टी नहीं माना गया। गवाह ने स्वीकार किया कि तमाम संपत्ति होम डिपार्टमेंट से सन् 1964 में रिलीज हुई थी। वसीयत दिनांक 15.09.1963 की है तथा उक्त दिनांक को संपत्ति श्रीनारायण जी के कब्जे में थी या नहीं, उसे नहीं पता, खुद कहा कि

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)

श्रीनारायण जी की थी और उन्होंने जो वसीयत की थी, उसी के अनुसार उसे मिली। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि वसीयत के आधार पर उसे संपत्ति का प्राइवेट ट्रस्ट बनाने का अधिकार मिला हो, बल्कि यह पब्लिक ट्रस्ट है जो उसने बनाया था। पब्लिक ट्रस्ट में विधान था कि वंशानुगत संतान को ट्रस्टी बनाया जावे। जिस समय होम डिपार्टमेंट से मंदिर की संपत्ति रिलीज हुई, उस समय पुजारी के तौर पर श्रीनारायण जी थे, उनकी मृत्यु के बाद वह पुजारी है तथा उसे देवस्थान विभाग ने पुजारी नियुक्त किया है। पब्लिक ट्रस्ट का वह शुरू से ही मालिक है। गवाह द्वारा स्वीकार किया गया कि हेमचन्द कभी पुजारी नहीं था और न ही मंदिर में कभी पूजा की, न ही उनके तीनों पुत्रों में से किसी ने सेवा की, सार्वजनिक मंदिर पर कोई भी आ जावे तो सभी पूजा करते हैं। गवाह द्वारा कथन किया गया कि प्रदर्श डी.1 व प्रदर्श डी.2 दावा उसने दायर किया था तथा प्रदर्श डी.2 में मंदिर को निजी संपत्ति गलत रूप से दर्ज किया है, मंदिर निजी संपत्ति नहीं है। गवाह द्वारा इस सुझाव को गलत बताया गया कि प्रदर्श डी.4 मंदिर के बाबत नहीं हो। मंदिर पर ट्रस्ट का कब्जा है और ट्रस्ट का संविधान उसने बनाया है। मंदिर सार्वजनिक है, जिस पर सभी को पूजा करने का अधिकार है और वह किसी को पूजा करने से नहीं रोकता है। मंदिर पर टाइम टेबिल लगा हुआ है, उसी के हिसाब से पूजा करनी होती है। मंदिर पर देवेन्द्र का कब्जा नहीं है, देवेन्द्र तो हनुमान जी की अर्दली करता है।

18. प्रतिवादी की ओर से परीक्षित कराए गए गवाह डी.डब्ल्यू.2 अरूण कुमार तिवारी, जो कि प्रतिवादी का पुत्र है, उस द्वारा साक्ष्य शपथपत्र में डी.डब्ल्यू.1 जयकुमार के साक्ष्य शपथपत्र के अनुसार ही मंदिर सालिगराम राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत एकल ट्रस्ट के रूप में सार्वजनिक प्रन्यास पंजीकृत होना एवं प्रतिवादी को उसका एकल ट्रस्टी होना, विवादित संपत्ति के संबंध में वादीगण एवं उनके बुजुर्गों द्वारा उठाई गई आपत्तियों एवं दावों का विभिन्न न्यायालयों, देवस्थान एवं माननीय उच्च न्यायालय से अंतिम रूप से निर्णीत होना व आपत्तियां खारिज होना तथा सन् 2013 में पुलिस द्वारा प्रतिवादी जयकुमार की पूर्ण संतुष्टि में कब्जा दिलाया जाना अभिकथित करते हुए कथन किया गया कि वादीगण को दर्शन व पूजा करने एवं भोग लगाने से कभी नहीं रोका, न ही कोई धमकी दी गई। वादीगण एवं उनके पिता, बाबा व बुजुर्गों का प्रबंध, संचालन व व्यवस्था में कोई अधिकार निहित नहीं है। उक्त गवाह द्वारा जिरह में कथन किया है कि विवादित संपत्ति होम डिपार्टमंट से कब रिलीज हुई, उसे जानकारी नहीं है। ट्रस्ट सन् 1986 में बना है और जयकुमार ट्रस्ट का अकेले आधिपत्यधारी है जो ट्रस्ट वंशानुगत है, किन्तु उसने इसका कोई विधान नहीं देखा। पिता के बाद पुत्र को अधिकार है। जयकुमार से पहले कोई ट्रस्ट नहीं था। गवाह ने कथन किया कि विवादित संपत्ति उनके बाबा की थी, जिन्होंने उनको दी, जो देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड थी। बाबा ने सन् 1963 में वसीयत की व वसीयत में बंटवारा किया, जिसमें बाबा के सभी बेटे हेमचन्द, गोविन्दचन्द व जयकुमार का उल्लेख था। संपत्ति बाबा सालिगराम की हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। गवाह द्वारा यह

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)

स्वीकार किया गया कि वह सन् 2013 से अपने पिताजी के साथ पूजा-पाठ कर रहा है एवं हनुमान जी की पूजा सभी भक्त करते हैं, अगर देवेन्द्र करता हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। मंदिर में कितने कमरे हैं, उसे नहीं पता। देवेन्द्र का किसी भी कमरे पर कब्जा नहीं है। सन् 2013 में इजराय के जरिये मंदिर के कमरों से सभी के कब्जे हटा दिए गए। गवाह ने स्वीकार किया कि शपथपत्र उसके पिताजी व वकील साहब ने मिलकर लिखा है, किन्तु खुद कहा कि उसे जानकारी है, तभी शपथपत्र लिखवाया है। मंदिर का खर्चा सरकार से मिलता हो तो उसकी जानकारी में नहीं है।

19. वादीगण द्वारा हस्तगत वादपत्र के जरिये मंदिर सालिगराम जी एवं मंदिर की जायदाद के संबंध में अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य एवं स्वयं वादी देवेन्द्र तिवारी द्वारा इजराय कार्यवाही में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्रदर्श डी.9 के अनुसार सालिगराम जी के 2 पुत्र रामगोपाल व कृष्णगोपाल हुए, जिनमें कृष्णगोपाल के कोई संतान नहीं थी, जबकि रामगोपाल के 2 पुत्र हेतकिशन व मंगलराम उर्फ जुगलकिशोर थे। हेतकिशन के 3 पुत्र श्रीनारायण, शंकरलाल व रघुवरदयाल हुए, जिनमें श्रीनारायण के तीन पुत्र जयकुमार (प्रतिवादी), हेमचन्द एवं गोविन्दचन्द हुए। हेमचन्द, वादीगण देवेन्द्र कुमार तिवारी व प्रशान्त तिवारी के बाबा तथा मृतक वादी रविन्द्र तिवारी के पिता थे। प्रतिवादी जयचन्द की ओर से घोषणा एवं कब्जा वापसी बाबत दीवानी वाद संख्या 29/1987 (85/2002), उनवानी जयकुमार बनाम नेमीचन्द वगैरह प्रस्तुत किया गया, जिसमें न्यायालय अतिरिक्त सिविल जज (वरिष्ठ खण्ड) संख्या 1, भरतपुर द्वारा दिनांक 23.05.2007 को निर्णय पारित कर दावा डिक्री किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त वादपत्र में वादीगण के बाबा/पिता हेमचन्द को प्रतिवादी संख्या 11 के रूप में संयोजित किया गया था। उक्त वादपत्र में वादी द्वारा यह कथन किया गया कि भरतपुर रियासत के समय धर्मार्थ विभाग की ओर से मंदिर को मिलने वाली 50/- रुपये माहवार सहायता राशि को सालिगराम के पुत्र हेतकिशन ने अपने पुत्र श्रीनारायण के नाम मुंतकिल करने का प्रार्थनापत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 23.03.1931 को उक्त सहायता राशि श्रीनारायण के नाम मुंतकिल हुई और होम मिनिस्टर, भरतपुर के आदेश द्वारा मंदिर, तालाब व अन्य दुकानात, पुजारी की निजी संपत्ति मानने का आदेश पारित किया गया और जमींदारी, विश्वेदारी उन्मूलन एक्ट के तहत श्रीनारायण की निजी मिलकीयती होना घोषित किया गया। उक्त वादपत्र में वादी जयकुमार ने अपने पिता श्रीनारायण द्वारा वसीयत दिनांक 15.09.1963 निष्पादित करने का उल्लेख किया गया, जिस वसीयत के आधार पर हस्तगत प्रकरण में उस प्रकरण के प्रतिवादी संख्या 11 हेमचन्द के वंशज, अर्थात् वादीगण देवेन्द्र कुमार तिवारी, प्रशान्त तिवारी व रविन्द्र तिवारी द्वारा अनुतोष चाहा गया है। उक्त वाद में उपरोक्त वसीयत दिनांक 15.09.1963 को प्रदर्श 7 के रूप में प्रदर्शित कराया गया था तथा वसीयत के निष्पादन एवं उसके प्रभाव के संबंध में पूर्व वाद में विवाद्यक संख्या 2 भी विरचित किया गया था। उक्त विवाद्यक के विवेचन

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)

के दौरान विचारण न्यायालय द्वारा वसीयत की वैधानिकता और उसके प्रभाव को वाद के स्कोप से बाहर मानते हुए विवाद्यक को delete किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2007 द्वारा मंदिर हनुमान सालिगराम को पंजीकृत पब्लिक ट्रस्ट होना एवं जयकुमार को एकमात्र ट्रस्टी होना घोषित करते हुए वादी को कब्जा वापसी का अधिकारी होना घोषित किया तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त वादपत्र में प्रतिवादीगण द्वारा वसीयत दिनांक 15.09.1963 को गैर-कानूनी होना बताया गया था, किन्तु अब हस्तगत प्रकरण में वादीगण द्वारा उसी वसीयत के आधार पर न्यायालय से अनुतोष चाहा गया है।

20. न्यायालय सिविल जज (वरिष्ठ खण्ड) संख्या 1, भरतपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 23.05.2007 के विरुद्ध प्रतिवादीगण नेमीचन्द, विष्णुचन्द, नानकचन्द, स्वामीचन्द, सुरेशचन्द, प्रकाशचन्द, दाऊदयाल, परसराम, अनूपकुमार व सुशील कुमार द्वारा असल प्रतिवादी जयकुमार एवं तरतीबी प्रतिवादी हेमचन्द (वादीगण के बाबा/पिता) के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई, जिस सिविल अपील संख्या 09/2007 में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, भरतपुर द्वारा दिनांक 29.09.2007 को निर्णय पारित करते हुए अपील को खारिज किया गया। उक्त निर्णय प्रदर्श डी.3 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 27.03.1946 को होम मिनिस्ट्री के आदेश से जायदाद श्रीनारायण की मानी गई तथा पारिवारिक बंटवारा दिनांक 20.12.1956 के आधार पर विवादित मंदिर श्रीनारायण के बंट में आया, जिसके बाद दिनांक 15.09.1963 को श्रीनारायण ने वसीयतनामा लिखा, जिसमें विवादित जायदाद जयकुमार की होना अंकित किया। इस तथ्य की पुष्टि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1 से भी होती है, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि जयकुमार उसका रायसी मकान ऊपर-नीचे अथवा दुकान तवा जमीन मंदिर वगैरह बाकी चल-अचल संपत्ति का मालिक होगा, किन्तु चन्दादेवी (वसीयतकर्त्ता की पत्नी) जब तक जीवित है, वह अपनी मंशा के अनुसार काम करेगी, वही मालिक बनी रहेगी, उसके बाद जयकुमार मालिक होगा। विचारण न्यायालय द्वारा विरचित विवाद्यक संख्या 2 के संबंध में अपीलीय न्यायालय द्वारा भी यह निष्कर्ष दिया गया कि चूँकि नारायण की मृत्यु के बाद सन् 1965 से लगातार जयकुमार द्वारा ही मंदिर की सेवा-पूजा की जा रही है और वही मंदिर की सेवा-पूजा व खर्च का हिसाब-किताब रखता है, इसलिए विवाद्यक संख्या 2 को अलग से निस्तारित नहीं करने या delete कर देने से निर्णय की प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ना नहीं कहा जा सकता है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी निष्कर्ष दिया कि मंदिर श्री सालिगराम जी की संपत्ति एक पंजीकृत ट्रस्ट है एवं वादी जयकुमार उसका एकमात्र ट्रस्टी है और इस संपत्ति से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है और न ही इस संपत्ति में प्रतिवादीगण को कोई अधिकार उत्पन्न होता है। प्रतिवादी जयकुमार की ओर से प्रस्तुत आदेश दिनांक 14.09.2012 से यह भी प्रकट होता है कि अपीलीय न्यायालय

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)

द्वारा प्रथम अपील में पारित उक्त निर्णय के विरुद्ध पूर्व वाद के प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के समक्ष द्वितीय सिविल अपील संख्या 859/2007 प्रस्तुत की गई, जिसका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.01.2009 द्वारा निस्तारण कर दिया गया, जिसमें यह आदेश पारित किया गया कि अपीलकर्त्ताओं के पास राजस्थान लोक प्रन्यास अधिनियम के तहत पर्याप्त उपाय उपलब्ध हैं तथा वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

21. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2009 के पश्चात् दिनांक 12.05.2009 को प्रदर्श डी.4 इजराय संख्या 02/2009, जयकुमार बनाम नैमीचन्द वगैरह प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 05.08.2013 के अनुसार वादी जयकुमार द्वारा विवादित संपत्ति पर पूर्ण संतुष्टि में कब्जा प्राप्त कर लिया गया। उक्त इजराय कार्यवाही के दौरान दिनांक 23.07.2009 को इजराय न्यायालय के समक्ष स्वयं वादी संख्या 1 देवेन्द्र तिवारी द्वारा धारा 47 व 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया एवं अन्य दो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किए गए, जिन्हें इजराय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.08.2009 प्रदर्श डी.10 द्वारा खारिज कर दिया गया तथा यह माना गया कि उक्त प्रावधान के तहत डिक्री के निष्पादन को स्थगित किए जाने का कोई न्यायसंगत व युक्तियुक्त आधार मौजूद नहीं है। इजराय न्यायालय के उक्त आदेश प्रदर्श डी.10 के विरुद्ध एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 10987/2009 प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 14.09.2012 प्रदर्श डी.1 द्वारा क्षेत्राधिकार का बिन्दु पूर्व में नहीं उठाने तथा उक्त उपाय पूर्व में मौजूद होने से, डिक्री को अमान्य घोषित किए जाने योग्य नहीं होने से उक्त रिट पिटीशन खारिज की गई। माननीय उच्च न्यायालय में उक्त रिट पिटीशन के विचारण के दौरान हस्तगत प्रकरण के वादीगण के बाबा/पिता हेमचन्द की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया, जिनमें अन्य वारिसान के अलावा वादी संख्या 3 तथा वादी संख्या 1 व 2 को क्रमश: प्रतिवादी संख्या 11.1, 11.7 व 11.8 के रूप में संयोजित किया गया।

22. उक्त इजराय कार्यवाही के दौरान ही, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील में उपलब्ध विधिक उपचार का उपयोग करने संबंधी पारित आदेश के आधार पर पूर्व वाद के प्रतिवादीगण द्वारा सिविल विविध प्रकरण संख्या 05/2009 पेश किया गया, जिसमें प्रतिवादी जयकुमार द्वारा आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, भरतपुर द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद में दर्ज आधारों, जिनका निर्णय पूर्व में हो चुका है, दावा पेश करने के कारण आदेश दिनांक 11.10.2013 द्वारा प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया तथा नेमीचन्द वगैरह द्वारा जयकुमार के विरुद्ध प्रस्तुत उक्त प्रकरण 3,000/- रुपये हर्जा सहित खारिज किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 14.05.2007

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)

को नेमीचन्द वगैरह द्वारा जयकुमार के विरुद्ध सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, भरतपुर के समक्ष धारा 24 आर.पी.टी. एक्ट, 1959 के तहत सार्वजनिक प्रन्यास के पंजीयन के संबंध में पुन: जांच करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे उन द्वारा जारी विज्ञप्ति के पश्चात् कोई एतराज पेश नहीं करने, जयकुमार को पुश्तैनी संपदा के आधार पर अधिकृत करने, वसीयत प्रमाणित नहीं होने, हजारीलाल पुत्र जगन्नाथ प्रसाद द्वारा आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील अदम हाजिरी में दिनांक 10.07.1991 को खारिज होने का उल्लेख करते हुए तथा निर्णय दिनांक 18.10.1986 के विरुद्ध करीब 21 वर्ष पश्चात् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने से, निर्णय दिनांक 09.04.2008 द्वारा खारिज कर दिया गया।

23. नेमीचन्द द्वारा सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग एवं जयकुमार के विरुद्ध धारा 38 राजस्थान लोक प्रन्यास अधिनियम के तहत विविध दीवानी प्रकरण संख्या 247/2011 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र के विचारण के दौरान नेमीचन्द की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारीगण विनय कुमार व शशि कुमार द्वारा पक्षकार बनाए जाने बाबत प्रार्थनापत्र पेश किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र के निस्तारण से पूर्व विनय कुमार की भी मृत्यु होने पर शशिकुमार द्वारा प्रार्थनापत्र के जरिये पक्षकार बनने की इच्छा प्रकट की गई। यहां यह उल्लेखनीय है कि नेमीचन्द द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग के उस आदेश के अनुसरण में प्रस्तुत किया गया था, जिस द्वारा ट्रस्ट के प्रन्यासी द्वारा न्यास की आय के संबंध में आय-व्यय का ब्यौरा नहीं देने के आक्षेप लगाने पर सहायक आयुक्त द्वारा आवेदन स्वीकार कर, न्यास की व्यवस्था हेतु न्यायालय का निर्देश प्राप्त करने के लिए 30 दिवस के अन्दर जिला न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 01.06.2019 द्वारा नेमीचन्द की मृत्यु होने तथा शशि कुमार को हितधारक व्यक्ति (person interested) होने अथवा नहीं होने का निर्णय करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को नहीं होकर, धारा 38 राजस्थान लोक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत सहायक आयुक्त को होने के आधार पर प्रार्थनापत्र खारिज किया गया।

24. वादीगण द्वारा वादपत्र में विवादित जायदाद अपने पूर्वजों की होने तथा उसमें प्रतिवादी जयकुमार के साथ-साथ स्वयं का हित निहित होने से वादकारण उत्पन्न होना बताया है तथा यह भी अभिकथन किया गया है कि वसीयत दिनांक 15.09.1963 की बताई गई है, जबकि दिनांक 15.09.1963 व उसके बाद संपत्ति श्रीनारायण की निजी संपत्ति नहीं थी तो वसीयत करने का उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है, जो वसीयत वादीगण के विरुद्ध प्रभावहीन है। इस संबंध में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत उक्त निर्णयों/आदेशों तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि वादीगण द्वारा जिस मंदिर श्री सालिगराम जी एवं उसकी जायदाद में अपने हित निहित होना बताया है, उसके संबंध में पूर्व में न्यायालय सिविल जज (वरिष्ठ खण्ड) संख्या 1, भरतपुर द्वारा प्रदर्श डी.2 निर्णय दिनांक 23.05.2007 द्वारा प्रतिवादी जयकुमार के हक में अनुतोष प्रदान

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)

किया गया एवं उसके पश्चात् वादीगण के बाबा/पिता हेमचन्द सहित अन्य प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम व द्वितीय अपील का भी निस्तारण हो चुका है, जिसके पश्चात् इजराय न्यायालय द्वारा विवादित संपत्ति पर प्रतिवादी जयकुमार को कब्जा भी पूर्ण संतुष्टि से दिलाया जा चुका है, तब वादीगण यह कहने से विबंधित हैं कि उनके हित विवादित जायदाद में निहित हैं। यहां तक कि एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 10987/2009 में स्वयं वादीगण भी पक्षकार रह चुके हैं तथा वसीयत के संबंध में भी सक्षम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से उसके महत्त्व के संबंध में निष्कर्ष पारित कर दिया गया है, तब यह नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादी जयकुमार द्वारा सेवा-पूजा में व्यवधान पैदा किया जा रहा हो, जबकि वसीयत दिनांक 15.09.1963 के आधार पर उनके विवादित जायदाद में हित निहित हों।

25. वादी देवेन्द्र कुमार तिवारी पी.डब्ल्यू.1 द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि दावे के निर्णय में हेमचन्द का नाम नहीं था तथा जयकुमार की डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील खारिज होने के संबंध में उसे जानकारी नहीं है, जो उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णत: मिथ्या साबित होता है। वादीगण की ओर से जो गवाह पेश किए गए हैं, उन द्वारा जिरह में किए गए कथनों से यही प्रकट होता है कि उन्हें पूर्व वाद एवं भिन्न-भिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, न ही उन्हें ट्रस्ट के पंजीकृत होने की जानकारी है। इसलिए उनकी साक्ष्य के आधार पर वादी कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। पूर्व में किए गए सभी निर्णयों एवं आदेशों में पक्षकारों के मध्य मुख्य विवादों का अंतिम रूप से निपटारा हो चुका है, जिन पर पुन: विचार नहीं किया जा सकता है। वादीगण, उनके पूर्वजों एवं श्रीनारायण के अन्य उत्तराधिकारीगण द्वारा आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर के समक्ष भी अपील प्रस्तुत कर ट्रस्ट के पंजीयन को चुनौती दी गई है, जिसमें पैरवी नहीं करने के कारण उनकी अपील खारिज हो चुकी है। न्यायालय द्वारा मंदिर श्री सालिगराम का सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के तहत विधिवत ट्रस्ट पंजीकरण होना तथा जयकुमार को उसका एकल ट्रस्टी होना घोषित किया जा चुका है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) संख्या 1, भरतपुर द्वारा प्रदर्श डी.2 निर्णय में विवाद्यक संख्या 2 का विवेचन करते हुए यह स्पष्ट रूप से तय किया जा चुका है कि सहायक कलक्टर जागीर, भरतपुर के आदेश दिनांक 02.01.1964 द्वारा वादग्रस्त मंदिर, श्रीनारायण की निजी संपत्ति होना माना गया है, इसलिए उन्हें वसीयत करने का अधिकारी होना माना है, किन्तु उक्त वसीयत की वैधानिकता और उसके प्रभाव को वाद के स्कोप से बाहर मानते हुए उक्त विवाद्यक को delete किया गया है। उक्त न्यायालय के निर्णय की प्रथम एवं द्वितीय अपील में भी पुष्टि की जा चुकी है। इसलिए अब पुन: उन्हीं बिन्दुओं के आधार पर वादीगण इस वाद के आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं, न ही विवादित संपत्ति में प्रतिवादी के साथ-साथ वादीगण का हित निहित होना माना जा सकता है।

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)

26. यहां यह उल्लेखनीय है कि विवादित संपत्ति का जयकुमार द्वारा ट्रस्ट के रूप में वर्ष 1986 में पंजीयन कराया जा चुका है एवं वह उक्त ट्रस्ट का एकल प्रन्यासी घोषित किया जा चुका है। उसके विरुद्ध जो विधिक उपचार वादीगण, उनके पूर्वजों एवं अन्य हितधारकों को प्राप्त थे, उनका वे उपयोग कर चुके हैं, जिस कारण वाद के जरिये वादीगण ट्रस्ट के पंजीयन एवं मंदिर और उसकी संपत्ति के संबंध में दिए गए निर्णय को अब पुन: चुनौती नहीं दे सकते हैं, न ही वे कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसलिए, मेरे द्वारा किए गए साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादीगण विवाद्यक संख्या 1 लगायत 4 को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हं तथा प्रतिवादी विवाद्यक संख्या 8 को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। अत: उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार विवाद्यक संख्या 1 लगायत 4 वादी के विरुद्ध तथा विवाद्यक संख्या 8 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या पाँच</u>

5. आया वादपत्र धारा 11 सी.पी.सी. के तहत पोषणीय नहीं है ?

27. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा वादोत्तर में प्रारम्भिक आपत्ति लेते हुए कथन किया गया है कि विवादित मंदिर सालिगराम की चल-अचल संपत्ति एवं प्रबन्ध व एकल ट्रस्टी व हितकारी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय तक निर्णय व डिक्री प्रतिवादी के पक्ष में पारित किए जा चुके हैं जो अंतिम हो चुके हैं, जिस कारण वादपत्र पोषणीय नहीं है। धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधन किया गया है कि कोई भी न्यायालय ऐसे किसी नये वाद या मुद्दे की सुनवाई नहीं करेगा, जिस पर पहले से ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उन्हीं पक्षों के बीच, या जिनके तहत वे दावा करते हैं, समान हक के तहत प्रत्यक्षत: एवं सारत: निर्णय पारित किया जा चुका हो। उपरोक्त विधिक प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान मामले को देखा जावे तो वर्तमान मामले में न्यायालय अतिरिक्त सिविल जज (वरिष्ठ खण्ड) संख्या 1, भरतपुर द्वारा दीवानी वाद संख्या 29/1987 (85/2002), उनवानी जयकुमार बनाम नेमीचन्द वगैरह में दिनांक 23.05.2007 को निर्णय प्रदर्श डी.2 पारित किया जा चुका है, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 09/2007, नेमीचन्द वगैरह बनाम जयकुमार वगैरह न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.09.2007 द्वारा निस्तारित की जा चुकी है तथा द्वितीय अपील संख्या 859/2007 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 07.01.2009 द्वारा खारिज की जा चुकी है। उक्त निर्णयों के पश्चात् इजराय संख्या 02/2009, जयकुमार बनाम नेमीचन्द वगैरह में आपत्तियों का इजराय न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निस्तारण करने के पश्चात् दिनांक 05.08.2013 को विवादित जायदाद का कब्जा वादी जयकुमार को दिलाया जा चुका है। हेमचन्द, जो कि वादीगण के बाबा/पिता हैं, वे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण उक्त

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)

प्रकरणों में पक्षकार रहे हैं। पूर्व में प्रस्तुत वाद वसीयत दिनांक 15.09.1963 के संबंध में भी विवाद्यक बनाकर उसका निस्तारण किया जा चुका है तथा देवस्थान विभाग के समक्ष की गई कार्यवाहियों का भी अंतिम रूप से निस्तारण हो चुका है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से प्रमाणित होता है कि जिन बिन्दुओं के आधार पर वादीगण द्वारा वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया है, उनका अंतिम रूप से निस्तारण हो चुका है एवं धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्राङ्‌न्याय (Res Judicata) के सिद्धान्त के अनुसार उन पर पुन: विचार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा, उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत बाधित होने से पोषणीय नहीं होने से यह विवाद्यक प्रतिवादी के पक्ष में एवं वादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या छ:</u>

6. आया वादपत्र का सही मूल्यांकन व पर्याप्त कोर्ट फीस अदा नहीं होने से वादपत्र खारिज किए जाने योग्य है ?

28. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी पर रखा गया है। वादीगण ने वादपत्र का मूल्यांकन 5,01,000/- रुपये कायम करते हुए धारा 45 राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम के अनुसार 300/- रुपये न्यायशुल्क पेश किया है, जबकि प्रतिवादी द्वारा वादोत्तर में कथन किया गया है कि विवादित संपत्ति की बाजार कीमत 50,00,000/- रुपये से अधिक है एवं उसकी बाजार कीमत का मूल्यांकन कराए बिना और कोर्ट फीस अदा किए बिना वाद पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी द्वारा वादोत्तर में मंदिर एवं उसकी जायदाद की कीमत 5 करोड़ से ज्यादा होना भी अंकित किया गया है।

29. वादीगण द्वारा अपने वाद का मूल्यांकन 5,01,000/- रुपये पर किया गया है, किन्तु न्यायशुल्क राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 45 के तहत अदा किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 45 के तहत उन परिस्थितियों में ही न्यायशुल्क अदा किया जा सकता है, जहां पर कोई विशिष्ट प्रावधान अधिनियम में वर्णित नहीं किया गया हो। वादीगण द्वारा हस्तगत वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। घोषणा के वाद के लिए न्यायशुल्क अदा किए जाने का प्रावधान अधिनियम की धारा 24 में दिया गया है और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए न्यायशुल्क का प्रावधान अधिनियम की धारा 26 में दिया गया है तथा उक्त प्रावधानों के तहत वाद का मूल्यांकन करते हुए न्यायशुल्क का निर्धारण किया जा सकता है। वादपत्र के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उसमें मंदिर सहित कुआं, पक्की प्याऊ, पेड़, खसरा नम्बर 342 रकबा 16 बिस्वा, कच्चा व पक्का कुण्डा, बुर्ज, मंदिर की छतरी व बगीचा आदि के संबंध में अनुतोष चाहा गया है, जिनका कोई बाजार मूल्य निर्धारित नहीं हो सकता है। वादीगण को अधिनियम की धारा 24(ई) के तहत उन द्वारा जो वाद का मूल्यांकन

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)

5,01,000/- रुपये किया गया है, उसके अनुसार न्यायशुल्क अदा किया जाना चाहिए। इसलिए उक्त राजस्थान न्यायालय शुल्क एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम में दिए गए उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार 33,859/- रुपये न्यायशुल्क निर्धारित किया जाता है। वादीगण द्वारा 300/- रुपये न्यायशुल्क अदा किया जा चुका है। अत: वादीगण द्वारा 33,859 – 300 = 33,559/- रुपये न्यायशुल्क कम अदा किया गया है, जो वसूली योग्य है। मेरे द्वारा किए गए उपरोक्त विवेचन के अनुसार, प्रतिवादी उक्त विवाद्यक को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है, अत: उपरोक्त विवाद्यक संख्या 6 प्रतिवादी के पक्ष में एवं वादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या सात</u>

7. आया वादपत्र मियाद बाहर होने से खारिज किए जाने योग्य है ?

30. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। वादीगण द्वारा दिनांक 13.07.2021 को वादपत्र पेश किया गया है, जिसके पैरा नम्बर 11 में विवाद का कारण दिनांक 20.06.2021 को प्रतिवादी द्वारा सेवा-पूजा में व्यवधान पैदा करने तथा वसीयत दिनांक 15.09.1963 की जानकारी होने से बताते हुए वाद वादीगण अन्दर मियाद होना कथित किया है, किन्तु प्रतिवादी द्वारा केवलमात्र अपनी आरम्भिक आपत्तियों में वाद मियाद बाहर होना कथित किया है, उस द्वारा उक्त तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया गया है। स्वीकृत रूप से मंदिर सालिगराम जी एक पब्लिक ट्रस्ट है। यद्यपि साक्ष्य के दौरान गवाहों द्वारा मंदिर में नियमित रूप से सेवा-पूजा करने में व्यवधान पैदा करने संबंधी कोई पुष्टिकारक कथन नहीं किया गया है, किन्तु मंदिर जैसी सार्वजनिक ट्रस्ट की संपत्ति पर किसी व्यक्ति को सेवा-पूजा करने से रोका नहीं जा सकता है। इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को मियाद बाहर नहीं माना जा सकता है। लिहाजा, यह विवाद्यक प्रतिवादी के विरुद्ध विनिश्चित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या नौ – अनुतोष</u>

31. मेरे द्वारा किए गए उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार वादीगण विवाद्यक संख्या 1 लगायत 4 को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं तथा प्रतिवादी विवाद्यक संख्या 7 को साबित करने में असफल रहा है, किन्तु प्रतिवादी विवाद्यक संख्या 5, 6 व 8 को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में पूर्व के न्यायालयों, देवस्थान विभाग व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित व निर्णीत कार्यवाहियों का वादपत्र में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उन द्वारा उपरोक्त महत्त्वपूर्ण तथ्यों को न्यायालय से छिपाया गया है और जिन बिन्दुओं पर पूर्व में ही न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जा चुके थे और निर्णय अंतिम हो चुके थे, उन्हीं बिन्दुओं पर पुन: यह वाद प्रस्तुत किया गया है, जो मेरे विनम्र मत में, न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जिससे न्यायालय का बहुमूल्य समय नष्ट हुआ

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)

है। लिहाजा, वादीगण द्वारा प्रस्तुत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का यह वाद 3,000/- रुपये कॉस्ट के साथ खारिज किए जाने योग्य है।

आ दे श

32. अत: वादीगण देवेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र कृष्ण कुमार, आयु 43 साल; प्रशान्त तिवारी पुत्र श्री कृष्ण कुमार, आयु 40 साल तथा रविन्द्र तिवारी पुत्र श्री हेमचन्द तिवारी, आयु 65 साल **(मृतक)**, सभी निवासी सालिगराम मंदिर, नई मण्डी स्टेशन रोड, भरतपुर की ओर से प्रतिवादी जयकुमार पुत्र श्री श्रीनारायण, आयु 75 साल, निवासी सालिगराम मंदिर के पास, स्टेशन रोड, नई मण्डी, भरतपुर के विरुद्ध प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा 3,000/- रुपये (शब्देन तीन हजार रुपये) हर्जा सहित अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

33. वादीगण से शेष न्यायशुल्क 33,559/- रुपये (शब्देन तेतीस हजार, पाँच सौ उनसठ रुपये) की नियमानुसार वसूली की जावे।

34. खर्चा मुकदमा पक्षकार स्वयं वहन करेंगे। नियमानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(बलजीत सिंह)
जिला न्यायाधीश
भरतपुर

निर्णय आज दिनांक 20.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(बलजीत सिंह)
जिला न्यायाधीश
भरतपुर

MUKESH CHANDRA SHARMA
PA cum EA
(Authenticated Document)